प्रथम / द्वितीय प्रति

निविदा फार्म क्रमांक . . . . . .

अहस्तांतरणीय

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद परिसर" अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

चना क्रय हेतु ई–निविदा दस्तावेज

रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग

वर्ष 2015–16

(जून 2015 से मार्च 2016 तक)

ई–निविदा दिनांक–06.06.2015

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद परिसर, अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

//चना क्रय हेतु ई–निविदा वर्ष 2015–16//

निविदा प्रकाशन क्रमांक/ई–निविदा/NOIT/चना/94 रायपुर, दिनांक 06.05.2015

छत्तीसगढ राज्य के स्थित निगम के प्रदाय केन्द्रों (राज्य भंडार गृह निगम/केन्द्रीय भंडार गृह निगम के गोदाम) रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग हेतु **लगभग 18740.00 मे0टन चना** आपूर्ति हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम तथा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से ई–निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु दस्तावेज।

Seq. No.	NAN	Bidder	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		07.05.15	13.00	07.05.15	17.00	
2		Bid Download	07.05.15	17.01	06.06.15	16.00	
3		Submit Bid Hash on line Payment of bid submission fee	07.05.15	17.01	06.06.15	16.00	Envelope A and Envelope C
4	Close For Bidding (Super Hash)		06.06.15	16.01	06.06.15	17.00	Envelope A and Envelope C
5		Submit Bids on line (only with encryption by department pub. Key.)	06.06.15	17.01	08.06.15	11.00	Envelope A and Envelope C
6	Open Envelope A		08.06.15	11.01	10.06.15	10.00	Envelope A
7	Evaluation of Envelope A		08.06.15	11.01	10.06.15	10.00	
8	Open Price/financial bid Envelope C		10.06.15	10.01	10.06.15	15.00	Envelop 'C'
9	Evaluation of price Envelope C (and information to successful bidders in negotiation)		10.06.15	10.01	10.06.15	15.00	
10		Fill Negotiate Rates (if required)	10.06.15	15.01	11.06.15	14.00	
11	View Item rate Form		11.06.15	14.01	11.06.15	17.00	
12	Tender Award		--	--	--		

टिप्पणी :–

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है ।
3. निविदा दस्तावेज दिनांक **06.06.2015** को दोपहर 04.00 बजे तक ऑनलाईन जमा किया जाना है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रक्रिया का विधिवत् अध्ययन कर लें एवं अंतिम समय का इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई न हो। अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी

समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नहीं होने पर समयावृद्धि करने हेतु कोई दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।

4. निविदा दस्तावेज की प्रति Online ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://nan.chips.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा फार्म के लिए राशि रू. 5000 (पांच हजार) प्रोसेसिंग फीस एवं रू. 4000 (चार हजार) बीड सबमिशन फीस कुल राशि रू. 9000 (नौ हजार) वेबसाईट http://nan.chips.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन जमा किया जाना होगा।

6. निविदा दस्तावेज जमा करने के पहले ही निविदाकार का चिप्स में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित कर लेवें ।

7. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ 01 से 32 तक समाहित है। उपरोक्त समस्त निर्देश भी निविदा का भाग होगा।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

//उद्बोधन//

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से **रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग (परिशिष्ट–4)** जिले में स्थित विभिन्न गोदामों में चना प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से चना क्रय (एफ.ओ.आर.) वित्तीय **वर्ष 2015–16 (अर्थात 01 जून 2015 से मार्च 2016 तक)** के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. उल्लेखनीय है कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्यान्न/शक्कर/नमक/चना/दलहन/बारदाना आदि की खरीदी/वितरण/ विक्रय सम्मिलित है।

3. इस निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, तथा छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, जहां चना का भंडारण किया जाना है, का विवरण दिया गया है। निविदाकार से अनुरोध है, कि कृपया इन दस्तावेजों को भली–भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें भरें। निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट–छः में साफ–साफ शब्दों व अंकों में अंकित करें।

4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म ऑनलाईन निविदा सूचना में प्रकाशित स्थान में दर्शाई गई तारीख तक निर्धारित समय तक स्वीकार किए जायेंगे।

5. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस चना क्रय संविदा के अभिन्न अंग हैं और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

चना क्रय निविदा हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं–

(अ) निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर केवल न्यूनतम दरदाता (L-1) से निगोशियेशन किया जा सकता है । इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का मान्य होगा।

(ब) निविदाकर्ता निविदाफार्म के साथ ऑनलाईन में ही वांछित दस्तावेज यथा अमानत राशि (RTGS Receipt) परिशिष्ट–तेरह में वर्णित आवश्यक दस्तावेज क्रमिक रूप से संलग्न करें। उक्त वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी ।

(स) निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ठ एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित,

दिनांक 06.05.2015

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

// निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण //

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जावें।

परिशिष्ट – एक	इस परिशिष्ट पर चना क्रय निविदा संबंधी प्रक्रिया एवं निविदा हेतु परिभाषाएं दर्शित है।
परिशिष्ट – दो	इस परिशिष्ट पर प्रदान किये जाने वाले चना से संबधित निविदा के नियम एवं शर्तें उल्लेखित है।
परिशिष्ट – तीन	इस परिशिष्ट पर चना के भुगतान एवं डिलेव्हरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
परिशिष्ट – चार	इस परिशिष्ट पर रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां चना की पूर्ति किया जाना है, की जानकारी दी गई है।
परिशिष्ट – पांच	इस परिशिष्ट पर निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण चाहा गया है।
परिशिष्ट – छः	इस परिशिष्ट पर चना की प्रदाय दर प्रति क्विंटल की दर से (एफ.ओ.आर.) चाही गई है।
परिशिष्ट – सात	इस परिशिष्ट पर चना क्रय संबंधी अनुबंध पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकार द्वारा रूपये 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
परिशिष्ट – आठ	इस परिशिष्ट पर चना के स्पेशिफिकेशन गाईड लाईन दिया गया है।
परिशिष्ट – नौ	इस परिशिष्ट पर चना के एक किलो पैकेट की प्रारूप उल्लेख किया गया है।
परिशिष्ट – दस	इस परिशिष्ट को चना क्रय संबंधी एचडीईपी बैग का विवरण दिया गया है ।
परिशिष्ट – ग्यारह	इस परिशिष्ट में सत्यनिष्ठा संबंधी विवरण दिया गया है।
परिशिष्ट – बारह	इस परिशिष्ट में ई–टेण्डर प्रोसेस संबंधी विवरण दिया गया है।
परिशिष्ट – तेरह	इस परिशिष्ट पर निविदा के साथ जमा किये जाने वाले चैकलिस्ट की सूची उल्लेख किया गया है ।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

परिशिष्ट – एक

//निविदा दस्तावेज//

// चना क्रय की निविदा संबंधी प्रक्रिया //

01. ई–टेण्डर निविदा :–

निगम को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के लिये लगभग 18740.00 मे.टन चने की आवश्यकता होगी राज्य शासन की नीति अनुसार मात्रा में कमी/वृद्वि की जा सकती है ।

निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज इन्कम टैक्स रिटर्न एवं पेन (PAN), वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 अथवा 2014–15 का आडिटेड बैलेंस सीट, अमानत राशि हेतु RTGS की रसीद एवं अन्य दस्तावेज, टेक्नीकल बीड (TECHNICAL BID) परिशिष्ट–13 के अनुसार केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना होगा ।

निविदाकारों जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालिफाई नहीं किया गया है उनकी प्राइज बीड नहीं खोली जावेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

02. अमानत राशि :–

प्रत्येक निविदाकार को इस निविदा के साथ रायपुर,दुर्ग एवं बस्तर संभाग के लिए रूपये 1.00 करोड़ दिनांक 06.06.2015 तक छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि. रायपुर के खाता क्रमांक 32169202827, IFSC CODE- SBIN 0007237, न्यूशांतिनगर, स्टेट बैंक आफ इंडिया में RTGS के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है ।

03. जमानत राशि जमा करने के संबंध में :–

निविदा स्वीकृत होने की दशा में जमा ई.एम.डी. राशि अनुबंध निष्पादन होने के उपरांत वापसी होगी। निविदा स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 20 दिवस के अंदर रूपये 3.00 करोड़ की जमानत राशि के रूप में जमा कर कार्पोरेशन के पक्ष में अनुबंध निष्पादन करना होगा। प्रतिभूति राशि किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी के रूप में 15 माह के लिए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में जमा किया जाना होगा। उक्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

04. निविदा में हस्ताक्षर :–

निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी/समिति, द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी किया जाता है, तो पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज ऑनलाईन मूल प्रति में ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

05. निविदा दर प्रस्तुत करने के संबंध में :–

निविदाकार निर्धारित निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट–04, जिसमें गोदामों की जानकारी दी गई है। उक्त स्थानों के लिए चना प्रदाय हेतु प्रति क्विंटल दर अंकों एवं शब्दों में परिशिष्ट–06 के अनुसार ऑनलाईन में प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा दर प्रस्तुत करने के पूर्व छत्तीसगढ़ के रेल/सड़क मार्गों को देखते हुए दरें प्रस्तुत करें जो बाद में परिवर्तनीय नहीं होगा।

फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से प्राप्त निविदाएं विचार योग्य नहीं होगी। केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही प्रस्तुत करें।

निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। निविदाकार को चना छत्तीसगढ़ में प्रेषण के दौरान आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इसमें विभाग/संस्था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रस्तुत किये जाने वाले वांछित दस्तावेज को निविदाकार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने उपरांत नोटरी से सत्यापन कराना अनिवार्य है।

06. चना क्रय की मात्रा :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में चने की लगभग 18740.00 मे0टन की आवश्यकता होगी तथा चना प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रति माह आवश्यकतानुसार 1900 मे.टन से 3800 मे0टन चना प्रदाय के आदेश दिये जा सकते हैं (संलग्न सूची अनुसार) जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित प्रतिष्ठान की रहेगी।

संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में चना प्रदाय आदेश देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। निगम मुख्यालय से लगभग अनुमानित साप्ताहिक/पाक्षिक प्रदाय मात्रा की जानकारी यदि चाहे तो प्राप्त कर सकता है किंतु वास्तविक मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जब–जब चना की आवश्यकता होगी वह यथा संभव प्रदाय हेतु आदेश **आपूर्तिकर्ता** को सौंपा जायेगा। यदि कभी कोई चना क्रय आदेश अथवा चना क्रय की मात्रा कम या अधिक रही, तो इसके लिए प्रतिष्ठान कार्पोरशन को या उसके विरूद्व कोई दावा नहीं कर सकेगा एवं कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संविदा के पक्षकार चना आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान एवं प्रबंध संचालक की ओर से मनोनीत अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड होगें ।

07. निविदा स्वीकार करने संबंधी :–

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को चना प्रदाय निविदा हेतु इस निविदा को बिना किसी कारण के मान्य/अमान्य/पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मान्य करने का पूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित है।

08. ऑनलाईन में प्रस्तुत की गई समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबंध के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है ।

———00———

परिशिष्ट – एक

// चना निविदा हेतु परिभाषाएं //

1. चना से तात्पर्य प्रदाय किया जाने वाला चना निर्धारित मानक स्तर एवं गुणवत्ता का होना चाहिए।
2. निविदा दस्तावेज से तात्पर्य चना क्रय निविदा हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदाकार द्वारा विधिवत क्रय किया गया दस्तावेज।
3. संविदा से तात्पर्य है कि निविदा बुलाना, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेडयूल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्तें सम्मिलित है।
4. निगम शब्द का तात्पर्य होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर है।
5. प्रबंध संचालक का तात्पर्य यह होगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जैसा यथास्थिति हो, जिसके प्रशासकीय नियंत्रण में क्रमशः छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के व्यवसायिक निविदा संबंधी कार्य सम्पादित होना है।
6. निविदाकार शब्द का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति या संस्था जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।
7. सफल निविदाकार शब्द का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति या संस्था जिसकी दरे स्वीकृत हुई है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।
8. दर शब्द से तात्पर्य यह होगा कि दर जो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जिसे निगम द्वारा अंतरिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया है।
9. अनुबंध शब्द का अर्थ यह होगा कि चना क्रय हेतु निगम एवं चना प्रतिष्ठान के बीच संविदा करार।

---0---

परिशिष्ट – दो

//चना प्रदाय हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें//

1. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनांक से 31 मार्च 2016 तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा तथा आवश्यकतानुसार अगले अनुबंध होने तक जो भी पहले हो अथवा 03 माह के लिये अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा ।

2. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, सड़क/रेल मार्ग का भली–भांति अवलोकन/परीक्षण करें। दरें भरने से पूर्व सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि कर लेवें। निविदा भरने या खुलने उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।

3. चना की पैकिंग 1 किलो नेट–वेट मे रहेगी तथा पैकेजिंग एक्ट एवं नाप–तौल विभाग के मानक अनुसार रहेगी ।

4. चना को सर्वप्रथम मशीन द्वारा सफाई कर मिट्टी एवं अन्य पदार्थो को अलग कर चना की गुणवत्ता ग्रेडिंग उपरांत छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मापदण्ड के अनुरूप रखा जाना होगा तथा पीएफए एक्ट के नियम के अनुरूप होना चाहिए । चना की गुणवत्ता (परिशिष्ट – 08) अनुसार रहेगी। इसकी जॉच निगम के तकनीकी सहायकों द्वारा की जायेगी । गुणवत्ता जांच उपरांत निर्धारित गुणवत्ता का चना पाये जाने पर पैकिंग करायी जावेगी एवं HDPE बैग में भरकर परिवहन कराया जायेगा।

5. प्रदायकर्ता द्वारा उत्तम गुणवत्ता का चना 01 किलोग्राम नेट वजन, ग्रेडिंग करने के उपरांत संलग्न स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट –09 अनुसार 60 माइक्रान के पॉलीपैक में मल्टी कलर में 3 रंगो में तैयार किया जाएगा। पॉली फिल्म साफ, एक समान टेक्सचर की, ट्रांसपिरेंट, मजबूत, होना चाहिए । पॉलीपैक पर ब्रॉडिंग का प्रारूप निगम द्वारा दिया जाएगा जिसकी प्रिंटिंग निविदादाता द्वारा कराया जाएगा। ब्रॉडिंग का प्रारूप परिशिष्ट 09 पर संलग्न है।

6. एच.डी.ई.पी. बैग की गुणवत्ता एवं पैकिंग 01 किलोग्राम के 25–25 पैकेट की संख्या में नए एचडीईपी बैग में भरकर सिलाई किया जाएगा। एचडीईपी बैग के ऊपर छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का मोनो एवं कार्यालय का नाम पैकिंग माह तथा बैच नंबर अनिवार्य रूप से प्रिंट रहेगा, साथ ही पीडीएस के वितरण हेतु चना अंकित करना अनिवार्य रहेगा। एचडीईपी बैग का (स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट–10 में) संलग्न है।

7. चना की लगभग 18740.00 मे0टन की आवश्यकता होगी तथा चना प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रति माह आवश्यकतानुसार 1900 मे.टन से 3800 मे.टन चना प्रदाय के आदेश दिये जा सकते हैं (संलग्न सूची अनुसार) जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित प्रतिष्ठान की रहेगी। इसके प्रदाय की बाध्यता प्रदायकर्ता पर रहेगी। **अनुबंध की अवधि आगामी तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है । जो कि निविदाकार पर बंधनकारी होगा इस अवधि में दरों मे परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।**

8. निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने की दशा में चना का सप्लाई अधिकतम 21 दिवस के अंदर प्रदाय आदेश के अनुरूप प्रदाय करना अनिवार्य है।

9. सभी संग्रहण केन्द्र पर लगभग 2 माह के आबंटन के अनुरूप चना का संग्रहण कराया जाना होगा।

10. चना बोरे में किसी भी दशा में हुक ना लगे। पैकेट फटने पर प्रदायकर्ता द्वारा स्वतः के व्यय पर पुनः पैकिंग कराई जायेगी चना परिवहन के हर ट्रक के साथ 50 खाली पोलीपैक भी रखी जावेगी, जो कटी–फटी थैलियों के स्थान पर काम आ सके।

11. संविदा अवधि में किसी भी कारण जैसे – शासन द्वारा न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा का उतार–चढ़ाव, शासन की नीतियों में परिवर्तन का संविदा की दर पर कोई प्रभाव नहीं होगा तथा सफल निविदाकार को आबंटित मात्रा के अनुसार प्रदाय करना होगा, इसके लिये अतिरिक्त राशि की मांग नहीं कर सकेगा ।

12. चना का क्रय शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इससे अगर चना प्रतिष्ठान को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी निगम की नहीं होगी।

13. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार/चना प्रतिष्ठान की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरों में चना प्रेषण करने हेतु समस्त प्रचलित लायसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें निगम द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित प्रतिष्ठान की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रतिष्ठान की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म की जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी।

14. (अ)– प्रत्येक निविदाकार को इस निविदा के साथ रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के लिए रूपये 1.00 करोड़ दिनांक 06.06.2015 तक छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि. रायपुर के खाता क्रमांक 32169202827, IFSC CODE- SBIN 0007237, न्यूशांतिनगर, स्टेट बैंक आफ इंडिया में RTGS के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है ।

(ब) निविदा स्वीकृत होने की दशा में जमा ई.एम.डी. राशि अनुबंध निष्पादन होने के उपरांत वापसी होगी। निविदा स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 20 दिवस के अंदर रूपये 3.00 करोड़ की जमानत राशि के रूप में जमा कर कार्पोरेशन के पक्ष में अनुबंध निष्पादन करना होगा। प्रतिभूति राशि किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी के रूप में 15 माह के लिए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से जमा किया जाना होगा।

(स)– निर्धारित अवधि में करार निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फार्म के साथ जमा बयाने की राशि (अर्नेष्ट मनी) यथास्थिति अनुसार कार्पोरेशन के हित में जप्त कर ली जावेगी। इसके लिए आवश्यक नहीं होगा कि कार्पोरेशन संबंधित को अलग से सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

15. चना क्रय हेतु निविदा रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग स्थित बेसडिपो/गोदामों (परिशिष्ठ 04 अनुसार) के स्थानीय गोदामों पर (एफ.ओ.आर.) पहुंचाकर स्टेकिंग करने तक की दर चाही गई है।

16. यदि प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में चने की आपूर्तिकर्ता नहीं की जाती है अथवा प्रदाय में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो आम उपभोक्ताओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए निगम स्वीकृत दर अथवा प्रदायकर्ता के रिस्क एंड कास्ट पर अधिक दर पर निगम के **निविदा में भाग लिये गये एल–2, एल–3 एवं अन्य निविदाकारों से न्यूनता के क्रम में प्रतिभूति राशि जमा कराकर, राज्य शासन के** उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/भारत सरकार के **उपक्रम/ फर्म** से चना क्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा एवं अतिरिक्त व्यय हुई राशि की वसूली अनुबंधित प्रदायकर्ता से की जाएगी।

17. (अ) निविदाकार के पास वित्तीय वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 अथवा 2014–15 में खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ/खाद्यान्न के प्रसंस्करण व्यवसाय का वार्षिक न्यूनतम टर्न ओवर 15.00 करोड़ होना अनिवार्य है। साक्ष्य स्वरूप फर्म/कम्पनी की AUDITED बेलेंस सीट, लाभ–हानि खाता संलग्न करें (UNAUDITED मान्य नहीं होगी) ।

(ब) निविदाकार द्वारा यदि सभी संभाग के लिये निविदा में भाग लेने पर कुल टर्न ओव्हर 35.00 करोड़ रूपये वार्षिक का होना अनिवार्य है । यदि इससे कम राशि का टर्न ओव्हर है तो दोनों संभाग समूहों की निविदा के लिये अपात्र घोषित किया जावेगा ।

18. जमा अर्नेष्ट मनी एवं सिक्यूरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

19. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तें/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित की जा सकती है।

20. निविदाकार द्वारा कृषि उपज मंडी का लायसेंस, आयकर एसेसमेंट प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

21. प्रदाय आदेश (Supply Schedule) पाक्षिक/मासिक रूप से रोड परिवहन से करने हेतु दिया जावेगा। आदेशित मात्रा अनुसार निर्धारित समय में चना उपलब्ध कराने हेतु प्रदायकर्ता फर्म की बाध्यता रहेगी।

प्रदाय ओदश के तहत निर्धारित मात्रा एंव निर्धरित अवधि तक प्रदाय नहीं करने पर प्रदायकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन के पश्चात 15 दिवस तक प्रदाय अवधि बढाई जा सकती है इस अवधि में कोई पेनाल्टी नहीं काटी जायेगी। 15 दिवस से अधिक विलंब होने पर 2% राशि की कटौत्री की जावेगी। इससे अधिक विलम्ब होने पर अनुपातिक रूप से विलम्ब की राशि कटौत्री की जोवगी।

22. यदि अनुबंधित चना प्रतिष्ठान निगम द्वारा दिये गये चना प्रदाय आदेश के अनुसार चना प्रदाय नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रद्द किए स्वतंत्र रूप से निविदा में भाग लिये न्यूनता के क्रम में संविदा के अधीन अनुबंधित चना प्रतिष्ठान की जोखिम एवं खर्चों पर चना प्रदाय अवधि समाप्त होने के 07 दिवस के बाद प्रगति संतोष जनक नही है तो एल – 02 से आनुपातिक तौर पर चना की पूर्ति कराले। इस स्थिति में कार्पोरेशन को हुई क्षति/हानि एवं खर्चों की स्वीकृत दर का 25% या वास्तविक जो अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित प्रतिष्ठान का होगा।

23. निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी।

24. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे स्वीकृत दर पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये अनुबंध करना होगा।

25. क्रय की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार है।

26. कार्पोरेशन का यह प्रदाय आदेश अहस्तांतरणीय है, जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। सब कांट्रेक्ट के लिए अधिकार नहीं रहेगा। निविदाकार यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित नहीं कर सकेगा। यदि अन्य व्यक्ति को निविदा (Contract) सौंपा जाता है तो संबंधित फर्म का निविदा निरस्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा निविदा निरस्त कर, जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।

27. केवल L-1 निविदाकार से निगोशियेशन किया जा सकता है ।

28 ई–टेंडर प्रक्रिया के संबंध में परिशिष्ट–12 पर संलग्न है।

29. निविदाकार के पास दलहन का फूड लाईसेंस होना आवश्यक है। लाईसेंस नही होने पर निविदा स्वीकृत होने के 15 दिवस के भीतर दलहन का फूड लाईसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

30. इस निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने का पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

31. निविदाकार को निविदा स्वीकृत दर पर चना प्रदाय करने हेतु आवश्यक समस्त प्रचलित लायसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं का दायित्व होगा। वैध दस्तावेजों के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है एवं चना प्रदाय प्रभावित होता है तो इसका संपूर्ण दायित्व निविदाकार का होगा एवं ऐसी स्थिति में अनुबंध समाप्त कर निविदाकार की जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर निविदाकार को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेगा।

32. निविदाकार को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों, शर्तों एवं उसके अधीन जारी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में निगम द्वारा अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा निविदाकार को तीन वर्षों के लिए काली सूची में नाम दर्ज किया जा सकेगा।

33. निगम द्वारा सफल निविदाकार को प्रतिमाह प्रत्येक पैकिंग मटेरियल प्रिंटिंग के समय प्रत्येक माहवार बैच कोड नंबर एलाट किया जावेगा जिसके अनुसार पैकिंग मटेरियल प्रिंटिंग के समय में बैच कोड नंबर छपाया जाना अनिवार्य है ।

34 इस निविदा में उल्लेखित समस्त कण्डिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इन्टरपीटेशन) के विषय में कोई विवाद होने की स्थिति में प्रबंध संचालक, छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं निविदाकारों पर बन्धनकारी होगा।

35 इस निविदा तथा अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद यदि उत्पन्न होता है तो उस पर एक मात्र आर्बीट्रेटर द्वारा निर्णय किया जावेगा। इसके लिए इसके लिए प्रबंध संचालक, छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय, रायपुर एक मात्र आबीट्रेटर होंगे। जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ रहेगा।

———00———

परिशिष्ट – तीन

// भुगतान एवं डिलीवरी प्रक्रिया //

1 निविदा में चना की दर (एफ.ओ.आर) राज्य के रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के जिलों में स्थित प्रदायकेन्द्रों/गोदामों पर रेल/सड़क माध्यम से परिवहन कर लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित चाही गई है। दरें समस्त करों सहित होंगी। भविष्य में विकास खण्डों, प्रदायकेन्द्रां की संख्या में वृद्वि भी हो सकती है जिसे निविदाकार हेतु मान्य करना बंधनकारी होगा ।

2. **निविदादाता द्वारा चना के प्रदाय संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर निगम अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि अपने पक्ष में राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा।**

3 (अ) अनुबंधित निविदाकार द्वारा जिलों के गोदामों पर प्रदाय की गई चना मात्रा की ऑनलाईन पावती, विश्लेषण रिपोर्ट एवं तौलपत्रक के साथ देयक 02 प्रतियों में सप्ताह में एक बार प्रस्तुत किया जाना है । प्रस्तुत देयक को जॉच/परीक्षण उपरांत 80 प्रतिशत का अग्रिम भुगतानएवं लागू सभी टैक्स की **कटौत्रा उपरांत भुगतान निगम मुख्यालय में किया जावेगा ।**

(ब) 20 प्रतिशत शेष राशि का देयक परीक्षण, जिला प्रबंधकों से प्राप्त ऑनलाईन प्रपत्र–13, विश्लेषण रिपोर्ट एवं WHR अनुसार किया जायेगा । ऑनलाईन देयक अनुसार राशियों में से माह में किये गये 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान का समायोजन पश्चात शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा। 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रदाय आदेश में प्रदायित मात्रा एवं कर सहित कटौत्रा कर भुगतान किया जावेगा ।

4 भुगतान वास्तविक रूप से प्रदाय किये गये नेट चना का भुगतान होगा एवं प्राप्ति स्थल पर शत्–प्रतिशत तौल कर जमा कराया जायेगा, तत्समय ऑनलाईन प्राप्ति तथा तौलपत्रक की मूल प्रति प्राप्त कर देयक में संलग्न किया जावेगा ।

5 प्रदाय आदेश (Supply Schedule) पाक्षिक/मासिक रूप से रोड परिवहन से करने हेतु दिया जावेगा। आदेशित मात्रा अनुसार निर्धारित समय में चना उपलब्ध कराने हेतु प्रदायकर्ता फर्म की बाध्यता रहेगी।

6 आपूर्तिकर्ता के कारखानों में निगम के तकनीकीकर्मीयों द्वारा पैकिंग के पूर्व पालीथीन, एचडीईपी बैग तथा चना का गुणवत्ता परीक्षण किया जावेगा । गुणवत्ता परीक्षण उपरांत ही चना प्रदायकेन्द्रों को प्रेषित किया जावेगा ।

7 प्राप्ति प्रदायकेन्द्र में जिला स्तरीय गुणवत्ता परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण में चना स्वीकृत होने पर ही ऑनलाईन पावती दी जावेगी ।

(अ) **प्रदाय ओदश के तहत निर्धारित मात्रा एंव निर्धरित अवधि तक प्रदाय नहीं करने पर प्रदायकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन के पश्चात 15 दिवस तक प्रदाय अवधि बढाई जा सकती है इस अवधि में कोई पेनाल्टी नहीं काटी जायेगी। 15 दिवस से अधिक विलंब होने पर 2% राशि की कटौत्री की जावेगी। इससे अधिक विलम्ब होने पर अनुपातिक रूप से विलम्ब की राशि कटौत्री की जोवगी। विलम्ब शुल्क में कटौत्री करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।**

(ब) प्रदाय की गई चना एवं पैकिंग मटेरियल छपाई की स्याही उपयुक्त, गुणवत्ता मानक स्तर का नही पाया जाता है तो निगम भुगतान अस्वीकृत करने के साथ साथ अनुबंध एक पक्षीय रूप से समाप्त करते हुए अमानत/जमानत राशि राजसात कर सकेगा एवं प्रदायकर्ता अपने खर्चो से चना उठायेगा तथा उसमें होने वाली हम्माली/परिवहन/भण्डारण आदि समस्त खर्चो की वसूली प्रदायकर्ता के देयक से की जावेगी।

(स) निगम को देय बकाया राशि की वसूली छत्तीसगढ भू–राजस्व संहिता के नियमों एवं प्रवधानो के तहत् भू–राजस्व बकाया के भांति की जावेंगी।

––00––

परिशिष्ट – चार

रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के जिलेवार स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां चने की पूर्ति किया जाना है मासिक आबंटन की आवश्यकता (मात्रा मे0टन में)

क्रमांक	जिला	क्रमांक	प्रदाय केन्द्र	प्रदाय हेतु अनुमानित मात्रा
1	धमतरी	1	धमतरी	10.00
		2	नगरी सिहावा	70.00
			योग :–	**80.00**
2	गरियाबंद	3	गरियाबंद	118.00
		4	मैनपुर	76.00
			योग :–	**194.00**
3	बस्तर	5	करपावंड	70.00
		6	जगदपुर	134.00
		7	बस्तर घाट लोहंगा	75.00
		8	केशलूर	96.00
			योग :–	**375.00**
4	बीजापुर	9	बीजापुर	46.00
		10	भोपालपटनम	24.00
		11	भैरमगढ़	29.00
		12	उसूर आवापल्ली	23.00
			योग :–	**122.00**
5	दंतेवाड़ा	13	गीदम	45.00
		14	दंतेवाड़ा	73.00
		15	कुआंकोण्डा	27.00
			योग :–	**145.00**
6	कांकेर	16	अंतागढ़	35.00
		17	आमाबेड़ा	10.00
		18	कांकेर	49.00
		19	चारामा	46.00
		20	नरहरपुर	49.00
		21	पखांजूर	75.00
		22	भानुप्रतापुर	72.00
			योगः–	**336.00**
7	कोण्डगॉव	23	केशकाल	79.00
		24	कोण्डागॉव	68.00
		25	बडेडोंगर	43.00
		26	मुनगापदर	9.00
		27	मर्दापाल	11.00

		28	मांकड़ी	44.00
			योग :–	**254.00**
8	नारायणपुर	29	नारायणपुर	59.00
			योग :–	**59.00**
9	सुकमा	30	कोंटा	29.00
		31	सुकमा	73.00
		32	दोरनापाल	31.00
			योग :–	**133.00**
10	राजनांदगांव	33	मानपुर	37.00
		34	मोहला	35.00
		35	चौकी	45.00
			योग :–	**117.00**
11	बालोद	36	डौण्डी	59.00
			योग :–	**59.00**
			महायोग :–	**1874.00**

नोट : 1 उपरोक्तानुसार जिलों के प्रदायकेन्द्र के आबंटन मात्रा शासन के आबंटन के अनुसार कमी/अधिक हो सकती है एवं प्रदायकेन्द्रों में घट/बढ़ हो सकती है । उपरोक्त के अतिरिक्त जिले के प्रदायकेन्द्र कमी/अधिक हो सकती है, जिसे प्रदायकर्ता के लिये बंधनकारी होगा एवं स्कीकृत दर पर ही प्रदाय करना होगा। मात्रा में कमी होने पर कोई हर्जाना देय नहीं होगा । तथा नये प्रदायकेन्द्र भी प्रारंभ किये जा सकते हैं वहॉ तक आपूर्ति करने की बाद्वता आपूर्तिकर्ता की होगी ।

परिशिष्ट – पांच

COVER-A(TECHNICAL BID)

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

निविदाकार अपना पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

प्रेषक,

..... (संस्था का नाम)

..... (एवं पूर्ण पता)

.....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों / गोदामों में चना क्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने / मैंने निगम के मुख्यालय में ..... रसीद नम्बर ..... दिनांक ..... को रूपये ..... जमाकर यह निविदा फार्म क्रय किया है। हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझा लिया तथा हम/ मैंने उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।

2. हम/मैंने चना छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों में एफ.ओ.आर. (लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित) (दरें समस्त करों सहित) पहुंचाकर देने संबंधी प्रकाशित निविदा के तारतम्य में यह निविदा भर रहे हैं । हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है –

(01) निविदाकार का नाम पता .....

.....

(02) दूरभाष क्रमांक कार्यालय .....

इण्डस्ट्रीज .....

(03) निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/ .....
कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)

(04) मुखिया (कर्ता) का नाम व पता .....

(05) यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारी के .....
नाम/पते (भागीदारी विलेय की प्रमाणित प्रति .....
संलग्न करें)

(06) फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं .....
दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें) .....

(07) आयकर रिटर्न तथा पेन की सत्यप्रति .....
संलग्न करें। .....

(08) बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्र. लिखें) .....

(09) संस्था का कार्य का .....
अनुभव वर्षों का है (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

(10) वर्तमान में किस शासकीय/ अर्द्धशासकीय .....
संस्था में चना प्रदाय कार्य कर रहे हैं, ...
विवरण दें .....

(11) निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण.....
रू. .....
बैंक RTGS RECEIPT नं. .....
बैंक का नाम .....
.....
दिनांक .....

(12) इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों1. .....
की सूची
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

3. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से नब्बे दिन तक तथा परिशिष्ट दो के बिन्दु 14 वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेंगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूंगा/रहूंगी।

4. यदि नियम द्वारा हमें/मुझे चना प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ।

5. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियॉ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर

नोट :– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालम में प्रविष्ट अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट – छः
COVER-C(PRICE BID)

//चना प्रदाय की दर//

रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग

चना एफ.ओ.आर. वर्ष 2015–16 (1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक) में प्रदाय की दर :–

क्र.	विवरण	दर रूपये प्रति क्विंटल	
		अंकों में	शब्दों में
01	चना की अच्छी तरह सफाई/ग्रेडिंग उपरांत 01 किलों के पालीपैक (60 माइक्रान) में पैकिंग कर 25 किलोग्राम के नई एचडीपीई बैंग में भरकर मशीन सिलाई कर प्रदाय दर (एफ.ओ.आर.) **परिशिष्ट–चार** पर उल्लेखित विभिन्न गोदामों में स्टेकिंग करने तक की दर (दरें समस्त करों सहित होंगी)		

उपरोक्तानुसार दरें (एफ.ओ.आर. एवं समस्त करों सहित) मेरे हमारे द्वारा भरी गई हैं।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

.....

हैसियत .....

मुहर

––0––

परिशिष्ट – सात

करार
नमूना प्रति
(सौ रूपये मूल्य का मुद्रांक पत्र)

पक्ष कमांक 1 – **छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, हितवाद भवन, अवंति विहार, रायपुर**

पक्ष कमांक 2 – **..... (प्रदायकर्ता)**

रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के लिए चना क्रय क्रमांक ..... हेतु स्वीकृत दर रूपये ----------

अक्षरी– रूपये ..... प्रति टन

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर पक्ष कमांक 1 द्वारा पत्र क्रमांक ..... द्वारा चना प्रदाय के लिए आमंत्रित ई–निविदा कमांक ..... दिनांक ..... में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर का जारी स्वीकृति पत्र कमांक/..... दिनांक ..... के अनुसार पक्ष कमांक 2 द्वारा वित्तीय वर्ष ..... के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्य के रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग हेतु ..... जिलों के प्रदायकेन्द्रों/गोदामों में पक्ष कमांक 01 द्वारा निर्धारित प्रदाय केन्द्रों तक प्रदाय करने के लिए रूपये ..... अक्षरी रूपये ..... प्रति टन की दर निर्धारित किया गया है । आज दिनांक ..... दिन ..... को यह अनुबंध पक्ष कमांक 01 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर तथा पक्ष कमांक 02 ..... (प्रदायकर्ता) की ओर से निदेशक श्री .... निवासी ..... के मध्य आगे वर्णित नियम एवं शर्तों के अधीन अनुबंध निष्पादन किया जाता है।

1. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनांक से 31 मार्च 2016 तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा तथा आवश्यकतानुसार अगले अनुबंध होने तक जो भी पहले हो अथवा 03 माह के लिये अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा ।

2. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, सड़क/रेल मार्ग का भली–भांति अवलोकन/परीक्षण करें। दरें भरने से पूर्व सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि कर लेवें। निविदा भरने या खुलने उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।

3. चना की पैकिंग 1 किलो नेट–वेट मे रहेगी तथा पैकेजिंग एक्ट एवं नाप–तौल विभाग के मानक अनुसार रहेगी ।

4. चना को सर्वप्रथम मशीन द्वारा सफाई कर मिट्टी एवं अन्य पदार्थो को अलग कर चना की गुणवत्ता ग्रेडिंग उपरांत छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मापदण्ड के अनुरूप रखा जाना होगा तथा पीएफए एक्ट के नियम के अनुरूप होना चाहिए । चना की गुणवत्ता (परिशिष्ट – 08) अनुसार रहेगी। इसकी जॉच निगम के तकनीकी सहायकों द्वारा की जायेगी । गुणवत्ता जांच उपरांत निर्धारित गुणवत्ता का चना पाये जाने पर पैकिंग करायी जावेगी एवं HDPE बैग में भरकर परिवहन कराया जायेगा।

5. प्रदायकर्ता द्वारा उत्तम गुणवत्ता का चना 01 किलोग्राम नेट वजन, ग्रेडिंग करने के उपरांत संलग्न स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट –09 अनुसार 60 माइक्रान के पॉलीपैक में मल्टी कलर में 3 रंगो में तैयार किया जाएगा। पॉली फिल्म साफ, एक समान टेक्सचर की, ट्रांसपिरेंट, मजबूत, होना चाहिए । पॉलीपैक पर ब्रॉडिंग का प्रारूप निगम द्वारा दिया जाएगा जिसकी प्रिंटिंग निविदादाता द्वारा कराया जाएगा। ब्रॉडिंग का प्रारूप परिशिष्ट 09 पर संलग्न है।

6. एच.डी.ई.पी. बैग की गुणवत्ता एवं पैकिंग 01 किलोग्राम के 25–25 पैकेट की संख्या में नए एचडीईपी बैग में भरकर सिलाई किया जाएगा। एचडीईपी बैग के ऊपर छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का मोनो एवं कार्यालय का नाम पैकिंग माह तथा बैच नंबर

अनिवार्य रूप से प्रिंट रहेगा, साथ ही पीडीएस के वितरण हेतु चना अंकित करना अनिवार्य रहेगा। एचडीईपी बैग का निविदा दस्तावेज के स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट–10 के अनुसार होगी ।

7. चना की लगभग 18740.00 मे0टन की आवश्यकता होगी तथा चना प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रति माह आवश्यकतानुसार 1900 मे.टन से 3800 मे.टन चना प्रदाय के आदेश दिये जा सकते हैं (संलग्न सूची अनुसार) जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित प्रतिष्ठान की रहेगी। इसके प्रदाय की बाध्यता प्रदायकर्ता पर रहेगी। **अनुबंध की अवधि आगामी तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है । जो कि निविदाकार पर बंधनकारी होगा इस अवधि में दरों मे परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।**

8. निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने की दशा में चना का सप्लाई अधिकतम 21 दिवस के अंदर प्रदाय आदेश के अनुरूप प्रदाय करना अनिवार्य है।

9. सभी संग्रहण केन्द्र पर लगभग 2 माह के आबंटन के अनुरूप चना का संग्रहण कराया जाना होगा।

10. चना बोरे में किसी भी दशा में हुक ना लगे। पैकेट फटने पर प्रदायकर्ता द्वारा स्वतः के व्यय पर पुनः पैकिंग कराई जायेगी चना परिवहन के हर ट्रक के साथ 50 खाली पोलीपैक भी रखी जावेगी, जो कटी–फटी थैलियों के स्थान पर काम आ सके।

11. संविदा अवधि में किसी भी कारण जैसे – शासन द्वारा न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा का उतार–चढ़ाव, शासन की नीतियों में परिवर्तन का संविदा की दर पर कोई प्रभाव नहीं होगा तथा सफल निविदाकार को आबंटित मात्रा के अनुसार प्रदाय करना होगा, इसके लिये अतिरिक्त राशि की मांग नहीं कर सकेगा ।

12. चना का क्रय शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इससे अगर चना प्रतिष्ठान को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी निगम की नहीं होगी।

13. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार/चना प्रतिष्ठान की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरों में चना प्रेषण करने हेतु समस्त प्रचलित लायसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें निगम द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित प्रतिष्ठान की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रतिष्ठान की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म की जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी।

14. चना क्रय हेतु निविदा रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग स्थित बेसडिपो/गोदामों (परिशिष्ठ 04 अनुसार) के स्थानीय गोदामों पर (एफ.ओ.आर.) निविदा में स्वीकृत दर पर पहुंचाकर स्टेकिंग करने तक पक्ष क्रमांक–2 की जबाबदारी रहेगी ।

15. यदि प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में चने की आपूर्तिकर्ता नहीं की जाती है अथवा प्रदाय में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो आम उपभोक्ताओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए निगम स्वीकृत दर अथवा प्रदायकर्ता के रिस्क एंड कास्ट पर अधिक दर पर निगम के **निविदा में भाग लिये गये एल–2, एल–3 एवं अन्य निविदाकारों से न्यूनता के क्रम में प्रतिभूति राशि जमा कराकर, राज्य शासन के** उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/भारत सरकार के **उपक्रम/फर्म** से चना क्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा एवं अतिरिक्त व्यय हुई राशि की वसूली अनुबंधित प्रदायकर्ता से की जाएगी।

16. जमा अर्नेष्ट मनी एवं सिक्यूरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

17. निविदाकार द्वारा कृषि उपज मंडी का लायसेंस, आयकर एसेसमेंट एवं मण्डी कर एवं अन्य कर की समस्त जवाबदारी पक्ष क्रमांक–2 की होगी ।

18. प्रदाय आदेश (Supply Schedule) पाक्षिक/मासिक रूप से रोड परिवहन से करने हेतु दिया जावेगा। आदेशित मात्रा अनुसार निर्धारित समय में चना उपलब्ध कराने हेतु प्रदायकर्ता फर्म की बाध्यता रहेगी।

प्रदाय ओदश के तहत निर्धारित मात्रा एंव निर्धरित अवधि तक प्रदाय नहीं करने पर प्रदायकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन के पश्चात 15 दिवस तक प्रदाय अवधि बढाई जा सकती है इस अवधि में कोई पेनाल्टी नहीं काटी जायेगी। 15 दिवस से अधिक विलंब होने पर 2% राशि की कटौत्री की जावेगी। इससे अधिक विलम्ब होने पर अनुपातिक रूप से विलम्ब की राशि कटौत्री की जोवगी। विलम्ब शुल्क में कटौत्री करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

19. यदि अनुबंधित चना प्रतिष्ठान निगम द्वारा दिये गये चना प्रदाय आदेश के अनुसार चना प्रदाय नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रद्द किए स्वतंत्र रूप से निविदा में भाग लिये न्यूनता के क्रम में संविदा के अधीन अनुबंधित चना प्रतिष्ठान की जोखिम एवं खर्चों पर चना प्रदाय अवधि समाप्त होने के 07 दिवस के बाद प्रगति संतोष जनक नही है तो एल – 02 से आनुपातिक तौर पर चना की पूर्ति कराले। इस स्थिति में कार्पोरेशन को हुई क्षति/हानि एवं खर्चों की स्वीकृत दर का 25% या वास्तविक जो अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित प्रतिष्ठान का होगा।

20. निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी।

21. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे स्वीकृत दर पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये अनुबंध करना होगा।

22. क्रय की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार है।

23. कार्पोरेशन का यह प्रदाय आदेश अहस्तांतरणीय है, जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। सब कांट्रेक्ट के लिए अधिकार नहीं रहेगा। निविदाकार यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित नहीं कर सकेगा। यदि अन्य व्यक्ति को निविदा (Contract) सौंपा जाता है तो संबंधित फर्म का निविदा निरस्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा निविदा निरस्त कर, जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।

24. इस निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने का पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

25. निविदाकार को निविदा स्वीकृत दर पर चना प्रदाय करने हेतु आवश्यक समस्त प्रचलित लायसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं का दायित्व होगा। वैध दस्तावेजों के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है एवं चना प्रदाय प्रभावित होता है तो इसका संपूर्ण दायित्व निविदाकार का होगा एवं ऐसी स्थिति में अनुबंध समाप्त कर निविदाकार की जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर निविदाकार को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेगा।

26. पक्ष क्रमांक–2 को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों, शर्तों एवं उसके अधीन जारी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में पक्ष क्रमांक–1 को अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा निविदाकार को तीन वर्षों के लिए काली सूची में नाम दर्ज किया जा सकेगा।

27. पक्ष क्रमांक–1 द्वारा पक्ष क्रमांक–2 को प्रतिमाह प्रत्येक पैकिंग मटेरियल प्रिंटिंग के समय प्रत्येक माहवार बैच कोड नंबर एलाट किया जावेगा जिसके अनुसार पैकिंग मटेरियल प्रिंटिंग के समय में बैच कोड नंबर छपाया जाना अनिवार्य है ।

28 इस निविदा में उल्लेखित समस्त कण्डिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इन्टरपीटेशन) के विषय में कोई विवाद होने की स्थिति में प्रबंध संचालक, छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं निविदाकारों पर बन्धनकारी होगा।

29 इस निविदा तथा अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद यदि उत्पन्न होता है तो उस पर एक मात्र आर्बीट्रेटर द्वारा निर्णय किया जावेगा। इसके लिए प्रबंध संचालक, छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय, रायपुर एक मात्र आबीट्रेटर होंगे। जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ रहेगा।

यह करार दिनांक ..... से ..... तक के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए, लागू रहेगा।

(संविदाकार)

वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है

साक्षी :–

(1) .....
.....
.....

(2) .....
.....

कार्पोरेशन की ओर से

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :–

(1) .....
.....
.....

(2) .....
.....

ANNEXTURE - 8

Grade specifications (quality) of Chana pulses CGSCSC LTD.

A) General characteristics :

Bengal gram pulse shall -

i. be the mature, dried, whole grains of Cicer Arietinum;
ii. have reasonably uniform size, shape and colour, characteristic of the variety/form;
iii. be sweet, clean, whole-some and free from moulds, weevils, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances (including added colouring matter) and all other impurties/except to the extent indicated under special characteristics;
iv. be in sound merchantable conditon;
v. not have moisture exceeding 12% and
vi. have good cooking quality.

Special Characteristics : For Whole Channa

Sl. No.	REFRACTIONS	CGSCSC Purchase Specifications (% required)
1	Foreign Matter (%)	0.4
2	Damaged Grains (%)	0.5
3	Slightly Damaged (%)	0.5
4	Immature, Shriveled & broken grains	1.5
5	Admixture of other varieties	1.5
6	Weevilled grains (%)	0.5
7	Moisture (%)	12.0

———00———

ANNEXTURE - 9

Net weight 1kg

छत्तीसगढ़

स्वादिष्ट चना

वित्तीय वर्ष 2015–16

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा
राज्य के सभी
प्राथमिकता/अन्त्योदय, अन्नपूर्णा
एवं
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
के कार्डधारियों के लिए प्रायोजित
प्रति परिवार– 2 कि.ग्रा.

गरीबों को दिया जाने वाला
चना
दर – 5/–रूपये
प्रति किलो
(समस्त करों सहित)
शासन का संकल्प

वितरक :
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड

पालिथिन ग्रेड–60 माइक्रॉन
निर्माता का नाम : .....
बैच क्रमांक .....
माह .....

छत्तीसगढ़ स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चना में पोषक तत्व

पोषक तत्व	प्रति 100 ग्रा. खाद्य अंश
ऊर्जा	334 कि.कै.
प्रोटीन	24.0 ग्राम
वसा	1.3 ग्राम
बीटा कैरोटिन	189 यू.जी.
थायमिन	0.3 मि.ग्रा.
नियासिन	2.9 मि.ग्रा.
राईबो फ्लेबिन	0.15 मि.ग्रा.
फोलिक एसिड	186 मि.ग्रा.
कैल्शियम	124 मि.ग्रा.
लोहा	4.4 मि.ग्रा.
रेशा	4.1 ग्राम
विटामिन सी	3.0 मि.ग्रा

वितरक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन, अवंति विहार, रायपुर (छ0ग0)

निर्माता :

.....

.....

.....

कार्य स्थल :

.....

.....

.....

ANNEXTURE - 10

NET 25 KG

छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि.

''हितवाद परिसर'' अवंति विहार, तेलीबांधा रायपुर

बैग साईज 19 X 32

बैग का वजन– 40 ग्राम से 50 ग्राम

वित्तीय वर्ष 2015–16

चना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण हेतु

बैच नंबर .....

पैकिंग माह .....

ANNEXTURE - 11

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on .....day of the month.....20....., between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri.....(Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (here in after called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s.....represented by Shri .....Chief Executive Officer(hereinafter called the "BIDDER/Seller." which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

2.1 Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

2.2 Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following :-

3.1 The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3 All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach. In case any such preceding misconduct on the part of such official (s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following :-

4.1 The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour of disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER, further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5 The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9 The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could Justify BIDDER,s exclusion from the tender process.

5.2 If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1 Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of .....

(ii) A confirmed guarantee by an India Nationalised/Scheduled Bank, promising payment of the guaranteed sum to the .....(BUYER)..... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3 In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4 No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required :-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue. .....

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with Interest there on at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(xi) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender, Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITERS

9.1 The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentially.

9.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designed by the BUYER.

9.6 The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information to the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTION

This actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire afte4r six months from the date of the signing of the contract.

13.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on .....

BUYER	**BIDDER**
Name of the Officer	**CHIEF EXECUTTIVE OFFICER**
Designation	
Department/PSU	
Witness	**Witness**
1.....	**1.....**
.....	**.....**
2.....	**2.....**
.....	**.....**

ANNEXTURE - 12

INFORMATION & INSTRUCTIONS TO THE BIDDERS OF CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED. FOR e-PROCUREMENT SYSTEM (*https://chips.gov.in*) Through Sub Portal (*https://nan. chips..gov.in*) of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.

Special conditions and Instructions for e-Procurement System as given in the subsequent pages will over-rule the conditions stated in the Tender document wherever relevant and applicable.

1. **Enrollment/Registration & Empanelment of the Contractors/Bidders on Government of Chhattisgarh's e-Procurement Portal.**
   In order to participate in the tenders floated using the e-Procurement System, all contractors/bidders are required to get enrolled on the e-Procurement portal (*http:cgeprocurement.gov.in*) and the get empanelled (if required by the Department) on the sub-portal of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited, Chhattisgarh at *http://nan.cgeprocurement.gov.in*.
   Only after concerned officer approves the empanelment of the contractor/bidder online, the contractor/bidder shall be allowed to participate in the tenders floated by the Department using the e-Procurement System.
2. **Set-up of Machine:**
   In order to operate on the e-Procurement System, setting of User's Machine is required. For which the User has to install some utilities in his machine as per the instructions in Help Manual for Machine Setup (Available for download on the e-Procurement Portal). The copy of the same may be obtained From Service Provider of the e-Procurement system: ***"Wipro Limited in consortium with the M/s NexTenders (India) Pvt. Ltd."***
3. **Obtaining a Digital Certificate:**
   The bids submitted online should be signed electronically with a Digital Certificate to establish the identity of the bidder bidding online. These Digital Certificates are issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities, Government of India.
   A Digital Certificate is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a digital certificate can be issued.
   The registered contractors may obtain information required to issuance of a class II Digital Signature Certificate from the Controller of Certifying Authorities *(www.cga.gov.in)* or the Service Provider of e-Procurement system of Government of Chhattisgarh:

   Wipro Limited in Consortium with NexTenders (India) Pvt. Ltd.
   B-31 "saket"
   Opp Gulab Industries,
   Shailendra Nagar,
   Raipur.
   Tel. No. 0771 - 40 79 400, 42 21 020, Fax No.0771 4221023
   E-mail: raipur@nextenders.com

   Important Note: Submission of Bids for a particular tender shall be done only using the digital certificate. In case, during the process of a particular tender, the user looses his Digital Certificate (i.e. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the bid online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.
   In case of online tendering, the digital certificate issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to no-objection certificate/power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the digital certificate as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to bid on behalf of the firm for the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited tenders as per *Information Technology Act 2000.* The digital signature of this authorized user will be binding on the firm, it shall be the responsibility of management/partners of the registered form to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh *'authorization certificate'* for the new user.
   The same procedure holds true for the authorized users in a Private/Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.
4. **Opening of an Electronic Payment Account:**
   For submitting the bids online, the contractors/bidders are required to make online payment using the electronic payments gateway service as mentioned in the NIT.
   Arrangements have been made for Contractors/Bidders to make payments online via Credit Card/Cash Cards/Internet Banking. The different modes of electronic payments accepted on the e-Procurement System is available and can be viewed online on the e-Procurement Website (*http://cgeprocurement.gov.in*).
5. **Payments for submission of bids online:**
   The Tender Documents may be downloaded free of cost from online GOC eProcurement Portal by eligible Contractors/Bidders. The Contractors/Bidders are required to make the payment for bid hash submission through online payment modes mentioned in *Point No.4* above. *In Online Tendering, the "Application Form" for the issue of Tender Documents shall not be required."*

The suppliers shall submit the bids by making online payment of Bid Hash Submission fees using the service of the secure electronic payments gateway, and print out the system generated receipt of their reference which can be produced whenever required.

The secure electronic payments gateway is an online interface between Contractors/ Bidders and Credit Card/Online payment authorization network.

Submission of Bids, EMD and other Documents will be governed by the time schedules given under "Key Dates" on the online e-Procurement System Portal for the particular tender.

(Please refer to the Help Manual for viewing of New Tenders online on the e-Procurement Portal)

6. **Tender Download:** Eligible/Interested Bidders can download the Tender Document online.

7. **Submission of Bid Seal (Hash):** The online submission of bids will be preceded by submission of the "digitally signed bid seal (hash)" as stated in the tender time schedule (Key Dates) published in the NIT. The contractors cannot change any bid data after the generation of bid seal (Hash).
8. **Generation of Super-Hash:** After the time of submission of Bid Seal (Hash) by the Contractors/Bidders has lapsed, the bid round will be closed and a "digitally signed tender Super-Hash" which will be prepared by concerned Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited Department Official. This is equivalent to sealing the tender box.
9. **Submission of Actual Online Bids:** Suppliers have to submit and sign their encrypted bids (by their user Public-Key) online using their digital certificate after the generation of Super-Hash within the date and time as stated in the tender schedule (Key Dates). The electronic bids of only those suppliers who have submitted their bid seals (hashes) within the stipulated time, as per the tender time schedule (Key Dates), shall be accepted by the system. A supplier who does not submit his bid seal (hash) within the stipulated time shall not be allowed to submit his bid.
10. **Submission of Earnest Money Deposit:** The Suppliers will also submit their Earnest Money Deposit as usual in a sealed physical "Cover-A" (Technical Bid) "Annexure-5" and the same should reach the stipulated tiime to Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited office as stated in the Tender Document, by personally along with all documents (Sample of Yellow peas Dal, 60 mircon polythin sample, earnest money RTGS Receipt Comapny Registration certificate, Incometax Return, Pan Card,) Company The Supplier shall also upload scanned copy of EMD instrument along with other details during online bidding (As per annexure-12)
11. **Opening of Tender Documents:** The authority receiving the tenders or his duly authorized officer shall first open the "Envelope A" (Technical Bid) "Annexure-5" of all the contractors/Bidders and check for the validity of EMD and documents submitted in the "Envelope-A", as required by Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited. In case, the requirements are incomplete, the Technical Bid of the concerned supplier received shall not be opened. The authority shall then open the bids submitted by the suppliers online through the e-Procurement website. The official shall match the hash of each bid with the hash submitted by the contractors prior to bid submission.
12. **Fill Negotiated Rates:** The Successful bidder may have to fill in Negotiated Rates if so required during this process. In case of no negotiation or no change in rates successful bidders need to complete the Fill Negotiated Rates Stage.
13. **Key Dates:** The suppliers are strictly advised to follow the tender schedule (Key Dates) for their side of tasks and responsibilities to submit their bids, as the system is time and date locked.

*****

ANNEXTURE - 13

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि.
मुख्यालय, रायपुर

विषय :– **निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज के संबंध में ।**

क्र.	**विवरण**	**पेज क्र.**
01	अमानत राशि (आरटीजीएस रसीद) ।	
02	सुरक्षा निधि राशि 3.00 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी हेतु सहमति पत्र	
03	फर्म का पंजीयन ।	
04	भागीदार/कम्पनी विलेख ।	
05	हस्ताक्षरकर्त्ता के पक्ष में पावर आफ एटार्नी	
06	उद्योग का लायसेंस (फैक्ट्री) ।	
07	मण्डी लायसेंस ।	
08	फूड लायसेंस	
09	वाणिज्यकर का टिन नंबर ।	
10	फर्म/कम्पनी के पैन कार्ड की प्रति ।	
11	आयकर विवरण 2012–13 अथवा 2013–14 अथवा 2014–15	
12	वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 अथवा 2014–15 के आडिटेड बेलेंस शीट, लाभ–हानि एवं ट्रेडिंग एकाउंट की प्रति (किसी चार्टड एकाउन्टेंट से सत्यापित)	
13	फर्म का नाम बैंक एकाउंट नंबर	
14	आई.एफ.सी.कोड एवं बैंक का नाम	

नोट :– उपरोक्त दर्शित बिन्दु क्रमांक 01 से 14 तक सीरियल के अनुसार ही दस्तावेज (नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति) निविदा के साथ संलग्न करें

निविदाकार के हस्ताक्षर सील सहित

मोबाईल नंबर.....

समाप्त